



<p>ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का एक सहायक संस्था) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय संकटोरिया, पो. दिशरगढ़ जिला- वर्धमान (प.बे)-713333 सी.आइ.एन -U10101WB1975GOI030295 वेबसाइट -www.easterncoal.gov.in एक ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 प्रमाणित संगठन</p>	  कोल इंडिया लिमिटेड एक सहायक संस्था	<p>EASTERN COALFIELDS LTD (A SUBSIDIARY OF COAL INDIA LTD.) Office of the Chairman cum Managing Director Sanctoria • P.O - Dishergarh • Dist - Burdwan (W.B) – 713333 CIN-U10101WB1975GOI030295 Website-www.easterncoal.gov.in An ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 Certified Company</p>
--	---	--

LRE Dept. Fax: 0343-2623470. Email: gm@easterncoal.cil.in

ईसीएल/सीएमडी/एलआरडी/ 1257

दिनांक: 13 जुलाई 2024

सेवा में,
महाप्रबंधक / The General Manager,
बंकोला क्षेत्र / Bankola Area,
ईसीएल / ECL

विषय: Publication of Notification u/s 11 (1) of CBA (A&D) Act, 1957 for acquisition of 419.0496 Ha of land [34.2170 Ha for Mining Rights only & 384.8326 Ha for all rights] in favour of Tilaboni UG project under Bankola Area of M/S Eastern Coalfields Limited vide S.O No. 2357(E) dated 18th June 2024.

महाशय,

This is to inform you that the notification u/s 11 (1) of CBA (A&D) Act, 1957 for acquisition of 419.0496 Ha of land [34.2170 Ha for Mining Rights only & 384.8326 Ha for all rights] in favour of Tilaboni UG project under Bankola Area of M/S Eastern Coalfields Limited has been published in the Gazette of India vide S.O No. 2357(E) dated 18th June 2024 (copy enclosed).

संलग्न: यथोपरी
धन्यवाद और सम्मान के साथ

[Signature]
13/7/24.

महाप्रबंधक (भू.रा.सं)/ General Manager (LRE)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक के सचिव TS to Chairman-Cum-Managing Director
निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना के सचिव TS to Director (Tech) P&P
महाप्रबंधक (योजना व परियोजना)/ General Manager (Project & Planning)

[Signature]
for n.a.

[Signature]
13/7

For further n.a. Pl.

[Signature]
13.7.24
Land officer (modal office land) / BA.
Agent / Tilaboni Colliery.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062024-254797
CG-DL-E-19062024-254797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2238]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2024/ज्येष्ठ 28, 1946

No. 2238]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2024/JYAISHTHA 28, 1946

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2024

का.आ. 2357(अ).— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1013 (अ), तारीख 02 मार्च 2023, भारत के राजपत्र, भाग - 2, खण्ड - 3, उपखण्ड (ii) तारीख 02 मार्च 2023 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और भूमि में, या उस पर के तदनुसार अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यांतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिला पश्चिम बर्दवान (प. बंगाल), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए तैयार है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि खनन अधिकार के साथ 419.0496 हेक्टेयर [केवल खनन अधिकार के लिए 34.2170 हेक्टेयर और सभी अधिकारों के लिए 384.8326 हेक्टेयर (लगभग) या 1035.4715 एकड़ [खनन अधिकार के लिए 84.5502 एकड़ और सभी अधिकारों के लिए 950.9213 एकड़] (लगभग) और इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उस पर के सभी अधिकार, तारीख 02 मार्च 2023 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहेंगे कि, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात्;

(1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज,

क्षतियों और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;

- (2) उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें शर्त (1) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा केंद्रीय सरकार संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे किसी अधिकरण और अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे, और वैसे ही इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में जैसे अपीलों आदि जैसी सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
- (4) सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, इस प्रकार उक्त भूमि और उसके अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा.सं. 43015/18/2020-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2024

S.O. 2357(E).— Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1013(E), dated the 02nd March, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 02nd March, 2023, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), only mining rights and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And whereas the Central Government is satisfied that the Eastern Coalfields Limited, District Paschim Bardhaman, West Bengal (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the land measuring 419.0496 hectares [34.2170 hectares for only mining rights and 384.8326 hectares for all rights] (approximately) or 1035.4715 acres [84.5502 acres for mining rights and 950.9213 acres for all rights] (approximately) with mining rights and all rights in or over the said land so vested shall with effect from the 2nd March, 2023 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:—

(1) The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;

(2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government company under condition (1), and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;

(3) The Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;

(4) The Government company shall have no power to transfer the said land and the rights to any other persons without the prior approval of the Central Government; and

(5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F.No. 43015/18/2020-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.